जा.क्र./2819/2005
6/1/2006

XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

कमांक **03/27/03/08984/06**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात चन्द्र खरया अनुसंधान एवम शैक्षणिक समिति इन्दौर समिति जो ए/3 संजय उपवन सी एच एल अपोलो अस्पताल के पीछे इन्दौर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 06/01/2006 को पंजीयित की गई है।

दिनांक छः माह जनवरी सन् **2006**

कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवम् संस्थाएं इन्दौर संभाग इन्दौर

Mangla

(श्रीमती मंगला पुरकाम)
सहायक पंजीयक
समितियों के रजिस्ट्रार

संशोधित नियमावली

1. समिति का नाम : **श्री प्रभात चन्द्र खरया अनुसंधान एवम् शैक्षणिक समिति इंदौर**

2. समिति का कार्यालय : ए/3, संजय उपवन, सी.एच.एल. अपोलो अस्पताल के पीछे जिला इंदौर तहसील इंदौर में स्थित होगा।

3. समिति का कार्यक्षेत्र : इंदौर होगा।

4. ***समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-***

1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना स्कूल/कॉलेज खोलना। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा का ज्ञान करना। उन्हें सैंद्धातिक तथा प्रयोगिक शिक्षा का संपूर्ण ज्ञान करना, छात्रावास खोलना, महाविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

2. शिक्षा के विभिन्न सौपानों को शिक्षा प्रदान करना, विभिन्न विषयों पर स्नातक तक, स्नातकोत्तर कॉलेजों की स्थापना करना।

3. अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने के प्रचार-प्रसार में समय-समय पर शासन के सहयोग लेकर आगे की योजना को बढना, विद्यार्थियों के लिए एक बुक-बैंक योजना आरंभ करके बचत करके एकत्रित कोष से असहाय बच्चों की मदद करना आदि ऐसे कार्य करना जो संस्था हित में किए गए हो।

4. समस्त प्रकार की चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के उद्देश्य से स्कूल-कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों की (मेडीकल कॉलेज, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज आदि) की स्थापना एवं उनके सुचारू रूप से संचालन, प्रबंधन व अन्य शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षा विभाग से अनुबंध करना एफिलेशन व मान्यता प्राप्त करना।

5. मेघावी विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें, उपकरणों, भोजन, छात्रावास आदि की व्यवस्था करना, छात्रवृत्तियां देना, सहायक कक्षाऐं लगाना एवं उचित मार्गदर्शन देकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य बनाना। उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों, विद्वानों, शोधकर्त्ताओं को आवश्कतानुसार मार्गदर्शन व सहयोग देना।

6. समाज के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न सामाजिकलोककल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना।

7. उपरोक्त सभी सामाजिक व शैक्षणिक कार्य समान रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए बिना जाति, सम्प्रदाय व धार्मिक भेदभाव को रखकर किये जायेंगे ।

Sangeeta Kharia   Basanti Kharia

अध्यक्ष   **सचिव**   **कोषाध्यक्ष**

2235/01
27/9/01

प्रारूप क्रमांक 1

संशोधित ज्ञापन विधान

(देखिये नियम 3)

1. समिति का नाम : श्री प्रभात चन्द्र खरया अनुसंधान एवम् शैक्षणिक समिति इंदौर
2. समिति का कार्यालय : ए/3, संजय उपवन, सी.एच.एल. अपोलो अस्पताल के पीछे जिला इंदौर तहसील इंदौर में स्थित होगा।

3. ***समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-***

1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना स्कूल/कॉलेज खोलना। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा का ज्ञान करना। उन्हें सैद्धातिक तथा प्रयोगिक शिक्षा का संपूर्ण ज्ञान करना, छात्रावास खोलना, महाविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
2. शिक्षा के विभिन्न सौपानों को शिक्षा प्रदान करना, विभिन्न विषयों पर स्नातक तक, स्नातकोत्तर कॉलेजों की स्थापना करना।
3. अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने के प्रचार-प्रसार में समय-समय पर शासन के सहयोग लेकर आगे की योजना को बढना, विद्यार्थियों के लिए एक बुक-बैंक योजना आरंभ करके बचत करके एकत्रित कोष से असहाय बच्चों की मदद करना आदि ऐसे कार्य करना जो संस्था हित में किए गए हो।
4. समस्त प्रकार की चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के उद्देश्य से स्कूल-कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों की (मेडीकल कॉलेज, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज आदि) की स्थापना एवं उनके सुचारू रूप से संचालन, प्रबंधन व अन्य शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षा विभाग से अनुबंध करना एफिलेशन व मान्यता प्राप्त करना।
5. मेघावी विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें, उपकरणों, भोजन, छात्रावास आदि की व्यवस्था करना, छात्रवृत्तियां देना, सहायक कक्षाऐं लगाना एवं उचित मार्गदर्शन देकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य बनाना। उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों, विद्वानों, शोधकर्त्ताओं को आवशकतानुसार मार्गदर्शन व सहयोग देना।
6. समाज के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न सामाजिकलोककल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना।
7. उपरोक्त सभी सामाजिक व शैक्षणिक कार्य समान रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए बिना जाति, सम्प्रदाय व धार्मिक भेदभाव को रखकर किये जायेंगे ।

Sangeeta Kharia. Basanti Kharia

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध –शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी–निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा धंधों का उल्लेख निम्नांकित है :–

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद	पता	धंधा
1.	श्री अरूण खरया पिता श्री स्व. पी.सी. खरया	अध्यक्ष	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	व्यवसाय
2.	श्री अनिल खरया पिता श्री स्व. पी.सी. खरया	उपाध्यक्ष	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	व्यवसाय
3.	श्रीमती बसंती खरया पति श्री स्व. पी.सी. खरया	कोषाध्यक्ष	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	व्यवसाय
4.	श्रीमती संगीता खरया पति श्री अरूण खरया	सचिव	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	व्यवसाय
5.	श्रीमती तृप्ती खरया पति श्री अनिल खरया	सदस्य	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	व्यवसाय
6.	श्रीमती छाया खरया पति श्री अशोक खरया	सदस्य	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	व्यवसाय
7.	श्री टी.सी. बडजात्या पिता स्व. श्री कवर बडजात्या	सदस्य	135/बी, नेमी नगर, केशरबाग रोड़ इंदौर (म.प्र.)	नौकरी

5. समिति के इस ज्ञापन–पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम; 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन–पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन–पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

[signature]	Sangeeta Kharia	Basanti Kharia
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

5. **_सदस्यता :-_** संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्यांगे :-

अ. **_संरक्षक सदस्य :-_** संस्था को जो व्यक्ति दा के रूप में रुपये 5000/- या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगाह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

ब. **_आजीवन सदस्य :-_** जो व्यक्ति संस्था के दा के रूप में रुपये 2500/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 2500/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स. **_साधारण सदस्य :-_** जो व्यक्ति रुपये 20/- माह रुपये 240/- प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा, साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्तहो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन-पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

द. **_सम्माननीय सदस्य :-_** संस्था की प्रबन्धकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6. **_सदस्यता की प्राप्ति :-_** प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन-पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन-पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **_सदस्यों की योग्यता :-_** संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो,
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो,
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **_सदस्यता की समाप्ति :-_** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:-

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल हो जाने पर
3. संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर

Sangeeta Kharia   Basanti Kharia

अध्यक्ष   **सचिव**   **कोषाध्यक्ष**

सहायक पंजीयक फर्म्स एवम् संस्थायें इन्दौर संभाग इन्दौर

4. त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर

5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:–

1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय, हस्ताक्षर दिनांक सहित
2. वह तारीख जिसको सदस्य को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो

10. अ. ***साधारण सभा :–*** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. ***प्रबन्धकारिणी सभा :–*** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुन: की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. ***विशेष :–*** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. ***साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :–***

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

ख. संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

Sangeeta Kharia   Basanti Kharia

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।

च. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

छ. बजट का अनुमोदन करना।

12. ***प्रबंधकारिणी का गठन :-*** ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निवार्चन होगा :-

1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. सचिव

4. कोषाध्यक्ष 5. संयुक्त सचिव एवं सदस्य-2

13. ***प्रबंध समिति का कार्यकाल :-*** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय पर जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. ***प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कत्तव्य :-***

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णत: परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स. समिति एवं उसके अधीन संचाति संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने कर आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

ई. अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

च. संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जावेगी।

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उत

Sangeeta Kharia Bosanti Kharia

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

झ. संस्था द्वारा कोई भी स्थाई संपत्ति बैंक या वित्तिय संस्थानों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तिय लेन-देन निर्माण या अन्य कार्यो के लिए संपत्ति, रहन-गिरवी, जमानत या ऋण इत्यादि प्राप्त करने का अधिकार प्रबंधकारणी को होगा।

15. *__अध्यक्ष के अधिकार :-__* अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16. *__उपाध्यक्ष के अधिकार :-__* अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. *__सचिव (मंत्री) के अधिकार :-__*

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन-पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
2. समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व नियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 20000/- करने का अधिकार होगा।

17.अ **__संयुक्त सचिव के अधिकार :__** सचिव के अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

18. *__कोषाध्यक्ष के अधिकार :-__* समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

19. *__बैंक खाता :-__* संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 1,00,000/- रहेंगे।

20. *__पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :-__* अधिनियिम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा

Sangeeta Kharia Basanti Kharia

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

भेजेगी। जानकारी फीस सहित भेजी जायेगी ।

21. ***संशोधन :-*** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। जानकारी फीस सहित भेजी जायेगी ।

22. ***विघटन :-*** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी। आवेदन फीस सहित प्रस्तुत किया जायेगा ।

23. ***सम्पत्ति :-*** संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी। आवेदन फीस सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

24. ***बैंक खाता :-*** संस्था की समस्त निधि किसी अनूसचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

25. ***पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-*** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. ***विवाद :-*** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

27. ***निवेश :-*** समिति द्वारा जो भी निवेश किया जावेगा वह आयकर की धारा 13 (1) डी के तहत् ही किया जावेगा। या समय-समय पर आयकर अधिनियम में संशोधनानुसार किया जावेगा।

28. ***खाता बंदी :-*** समिति का वार्षिक वित्तिय लेखा 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का रहेगा। हिसाब का अंकेक्षण मान्य लेखा परीक्षक से करवाया जावेगा।

Sangeeta Kharia   Basanti Kharia

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

29. ***संचित निधि :–*** समिति की संचित निधि तथा आय की गई राशि समिति के उददेश्यों की पूर्ति के लिये ही खर्च की जावेगी। किसी भी सदस्य को आय का लाभांश , ब्याज आदि नहीं दिया जावेगा ना ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया जावेगा।

30. समितिके उद्देश्यों व नियमावली में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो वह आयकर के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये किया जावेगा। जिसके लिए समिति स्वयं जिम्मेदार होगी।

31. समिति के विघटन पर समिति की समस्त चल अचल सम्पत्ति समिति के किसी सदस्य प्रबंधकारिणी सदस्य अथवा अन्य सदस्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तथा आपस में बांट नहीं सकेंगे। विघटन की स्थिति में उक्त दिनांक को समिति की समस्त सम्पत्ति समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य संस्था, न्यास को सौंप दी जावेगी या समिति का विलय समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य संस्था, न्यास में किया जावेगा। उक्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

Sangeeta Kharia   Basanti Kharia

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

27-9-08

(बी. एस. सोलंकी)
सहा. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज
इन्दौर संभाग, इन्दौर

यह पंजीयन के समय प्रस्तुत ज्ञापन की प्रमाणित प्रति है। विधानुसार विधिवत् निर्वाचित कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रति नहीं है।

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम	पते	हस्ताक्षर
1.	श्री अरूण खरया पिता श्री स्व. पी.सी. खरया	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	हस्ताक्षर
2.	श्री अनिल खरया पिता श्री स्व. पी.सी. खरया	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	हस्ताक्षर
3.	श्रीमती बसंती खरया पति श्री स्व. पी.सी. खरया	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	हस्ताक्षर
4.	श्रीमती संगीता खरया पति श्री अरूण खरया	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	हस्ताक्षर
5.	श्रीमती तृप्ती खरया पति श्री अनिल खरया	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	हस्ताक्षर
6.	श्रीमती छाया खरया पति श्री अशोक खरया	ए/3,संजय उपवन सी.एच.एल. अपोलो के पीछे, इंदौर (म.प्र.)	हस्ताक्षर
7.	श्री टी.सी. बडजात्या पिता स्व. श्री कवर बडजात्या	135/बी, नेमी नगर, केशरबाग रोड़ इंदौर (म.प्र.)	हस्ताक्षर

साक्षी

हस्ताक्षर– हस्ताक्षर

नाम – किरण गुप्ता

पता– 9, दिलीप सिंह कालोनी, मरीमाता चौराहा इंदौर

27.9.07

(बी. एस. सोलंकी)

वरि. रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज

इन्दौर संभाग, इन्दौर

Sangeeta Kharia Basanti Kharia

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष